प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.06.2026

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा गौवध के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 07.04.2026 को थाना निवाड़ी पर आवेदक ने तहरीर दी कि ग्राम खिंदौडा के जंगल में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौवंश के अवशेष डाल रखे है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पर तत्काल सुसंगत धाराओं 3/5/8 गौवध निवारण अधिनिमय में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस के माध्यम से उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया । उक्त घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये 03 अभियुक्त 1. नफीस उर्फ नवाब पुत्र शौकत निवासी ग्राम धौलडी थाना जानी मेरठ 2. परवेज पुत्र शौकत निवासी कस्बा व थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ 3. इस्लू उर्फ इस्लामूद्दीन पुत्र जबद्दीन निवासी ग्राम जेई थाना भावनपुर मेरठ पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है ।

दिनांक 21.06.2026 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शावेज उर्फ सोनी पुत्र दिलशाद निवासी श्यामनगर थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त शावेज उर्फ सोनी उपरोक्त ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों 1. नफीस उर्फ नवाब पुत्र शौकत निवासी ग्राम धौलडी थाना जानी मेरठ 2. परवेज पुत्र शौकत निवासी कस्बा व थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ 3. इस्लू उर्फ इस्लामूद्दीन पुत्र जबद्दीन निवासी ग्राम जेई थाना भावनपुर मेरठ के साथ मिलकर गौकशी की घटना कारित करता है । मैं अपनी स्कूटी से जगह -जगह जाकर रैकी करके अपने साथियों को स्थान बताता था तथा चिन्हित स्थान पर हम मिलकर गौकशी की घटना कारित करते थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

शावेज उर्फ सोनी पुत्र दिलशाद निवासी श्यामनगर थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाड़ी पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

दिनांक 20.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी श्री द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण1. मोन्टी 2. अक्षय धोती 3. करन सूद 4. मन्नू द्वारा मोटरसाइकिल सवार होकर आना तथा अभियुक्त करन सूद द्वारा वादी के छोटे भाई अरूण कुमार पर जान से मारने की नीयत से फायर कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धार 109(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 21.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.करन सूद पुत्र विक्रम सूद निवासी गली नं0 2 मीतनगर दिल्ली थाना ज्योति नगर उम्र करीब 25 वर्ष 2. अक्षय धोती पुत्र विनोद निवासी पूर्वी गोकलपुर थाना ज्योति नगर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–
अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारा कुछ दिन पहले मोनू के छोटे भाई अरुण के साथ झगडा हो गया था तथा दिनांक 19.06.2026 को अरुण अकेला अम्बेडकर चौक के पास खडा था। हम मोटरसाइकिल से वहां से जा रहे थे तभी अरुण को अकेला देखकर करन सूद ने अरुण पर फायर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–
1.करन सूद पुत्र विक्रम सूद निवासी मीतनगर दिल्ली थाना ज्योति नगर उम्र करीब 25 वर्ष।

2.अक्षय धोती पुत्र विनोद निवासी पूर्वी गोकलपुर थाना ज्योति नगर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग
उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा रंगदारी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ₹50,000/- बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 15.06.2026 को वादी श्री राजेन्द्र मित्तल (निवासी: केडी-14, कविनगर, गाजियाबाद) द्वारा थाना कविनगर पर तहरीर दी कि अभियुक्त सोनू चौहान उर्फ अमीर हसन ने माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग की छवि खराब करने के लिए फेसबुक पर

अपमानजनक और आपत्तिजनक पोस्ट की है। इसके साथ ही, अभियुक्त द्वारा वादी से रंगदारी की भी मांग की गई है। इस तहरीर के आधार पर थाना कविनगर पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजिकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्यवाही का विवरण :
उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 22.06.2026 को अभियुक्त सोनू चौहान उर्फ अमीर हसन पुत्र मोहम्मद अली, निवासी 216/1 दीवान जी शरीफ वाली गली, श्याम नगर, थाना लिसाड़ीगेट, जनपद मेरठ, उम्र 30 वर्ष, को नेहरू नगर फ्लाईओवर के पास चौकी क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :
अभियुक्त सोनू चौहान उर्फ अमीर हसन ने पूछताछ में बताया कि उसके कब्जे से बरामद ₹50,000/- वही धनराशि है, जिसे उसने सांसद अतुल गर्ग के प्रतिनिधि राजेन्द्र मित्तल से रंगदारी के रूप में वसूला था। अभियुक्त ने यह भी बताया कि कुछ धनराशि और राजेन्द्र मित्तल द्वारा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु समय अधिक होने के कारण वह आरडीसी स्थित किसी होटल में ठहरने जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता :

1. सोनू चौहान उर्फ अमीर हसन पुत्र मोहम्मद अली, निवासी 216/1 दीवान जी शरीफ वाली गली, श्याम नगर, थाना लिसाड़ीगेट, जनपद मेरठ, उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी :

1. ₹50,000/- नगद।

गिरफ्तार करने वाली टीम :
थाना कविनगर पुलिस टीम ।

थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा फिरौती हेतु अपहरण का प्रयास करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से घटना में प्रयुक्त swift कार, 01 रस्सी, 02 अवैध तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 21.06.2026 को वादी श्री राजेश पाण्डेय नि0- वसुन्धरा गाजियाबाद ने थाना लिंकरोड़ पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 16.06.2026 को झण्डापुर से आगे इन्दौर कम्पनी के पास मुझे 5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हथियार दिखाते हुए जबरन अपहरण करने का प्रयास किया वहां से मैं किसी तरह से अपनी जान बचा कर भाग आया के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 61/ 126(1)/ 140/ 62 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में थाना लिंक रोड पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें सीसीटीवी व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 21.06.2026 को 04 अभियुक्त 1.सत्यम सिंह पुत्र अमरेश कुमार निवासी ग्राम खिरखौआ थाना भगवानपुर जिला वैशाली बिहार हाल पता शुक्रबाजार टिगरी गोल चक्कर गौर सिटी मॉल के पास थाना बिसरख नोएडा उम्र करीब 22 वर्ष 2.गौतम मिर्धा पुत्र मानिक मिर्धा निवासी ग्राम हरोला से० 05 नोएडा मूल निवास ग्राम गंगारामपुर जिला गाजौल प० बंगाल उम्र करीब 25 वर्ष 3.नितिन तिवारी पुत्र संजीव कुमार तिवारी उर्फ राजू निवासी प्रेम विहार राकेश यादव के मकान में किराये पर खोडा कलोनी गाजियाबाद मूल निवास ग्राम कुकराजो थाना मन्धना कानपुर देहात उम्र करीब 26 वर्ष 4.रोहित उर्फ हिटलर पुत्र जोरा तिवारी ग्राम कानपुर खुर्द थाना

बडौदा जनपद सोनीपत हरियाणा हाल निवास न्यू अशोक नगर राजधानी मैडिकल के पास दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष को घटना में प्रयुक्त swift कार, 01 रस्सी, 02 अवैध तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस सहित खाटू श्याम इन्डस्ट्रीयल पार्क के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्त सत्यम सिंह ने बताया कि मेरे पिता अमरेश कुमार का प्रॉपर्टी का काम डी-मॉल, इंदिरापुरम में था। मैं भी कभी-कभी अपने पिता के कार्यालय जाता था। वहीं पर प्रॉपर्टी के काम से राजेश पाण्डेय भी आते-जाते रहते थे। मेरे पिता कई वर्षों से राजेश पाण्डेय के साथ प्रॉपर्टी का कार्य करते थे। राजेश पाण्डेय कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं। मेरे पिता अक्सर घर पर बताया करते थे कि राजेश पाण्डेय के पास काफी पैसा है। मैं ऑनलाइन आर्टिफिशियल ज्वैलरी की खरीद-फरोख्त का छोटा-मोटा काम करता हूँ। अपने शौक पूरे करने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता थी। इसी कारण मैंने अपने दोस्त गौतम मिर्धा से कहा कि कोई बड़ा काम करते हैं, जिससे हमारे पास जल्दी और अधिक पैसे आ जाएँ। इस पर गौतम ने मुझे अपने दोस्त नितिन तिवारी तथा दूर के रिश्तेदार रोहित उर्फ हिटलर से मिलवाया। रोहित उर्फ हिटलर किराये पर गाड़ी चलाता है तथा उसका दोस्त चन्दन भी गाड़ी चलाने का काम करता है। इसके बाद हम पाँचों—मैं, गौतम मिर्धा, नितिन तिवारी, रोहित उर्फ हिटलर तथा चन्दन—ने नोएडा में गौतम के घर पर बैठकर राजेश पाण्डेय के अपहरण की साजिश बनाई। राजेश पाण्डेय एक बड़े बिल्डर हैं और हमें जानकारी थी कि बिल्डर प्रायः नकद (कैश) में लेन-देन करते हैं तथा अपने साथ भी काफी नकदी लेकर चलते हैं। हमारे पास से जो तमंचे बरामद हुए हैं, उन्हें हमने ऑनलाइन के माध्यम से ₹25,000 में मंगवाया था। इसके लिए हम सभी ने ₹5,000-₹5,000 मिलाकर पैसे इकट्ठे किए थे। तमंचों की डिलीवरी नितिन और गौतम ने सेक्टर-15, नोएडा स्थित मेट्रो स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति से इंस्टाग्राम के माध्यम से प्राप्त की थी। हमने दिनांक **05-06-2026 एवं 06-06-2026** से ही राजेश पाण्डेय के घर, कार्यालय तथा उनके आने-जाने के सभी रास्तों की रेकी शुरू कर दी थी। दिनांक **16-06-2026** को जब हम पाँचों राजेश पाण्डेय का पीछा कर रहे थे, तब कम भीड़-भाड़ वाली सड़क पर रोहित उर्फ हिटलर द्वारा चलाई जा रही किराये की **Swift** कार को उनकी गाड़ी के आगे लगाकर उनकी गाड़ी रुकवा दी। इसके बाद हमने राजेश पाण्डेय को जबरन अपनी गाड़ी में खींचने का प्रयास किया, लेकिन उनके शोर मचाने पर हम उन्हें धमकी देकर वहाँ से भाग गए। इसके बाद भी हमने कई बार उनका पीछा किया, परंतु उन्हें उठा नहीं सके। हमारी योजना थी कि मौके पर ही तमंचे के बल पर उन्हें डराकर उनसे कम से कम **₹ 5 करोड़** नकद मंगवाया जाए और रुपये मिलने के बाद उन्हें कहीं छोड़कर फरार हो जाएँ। हमारी गाड़ी से जो रस्सी बरामद हुई है, उसे भी हमने अपहरण की साजिश को अंजाम देने के उद्देश्य से गाड़ी में रखा था। बरामद तमंचे भी हमने राजेश पाण्डेय को डराने तथा अपनी सुरक्षा के लिए खरीदे थे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सत्यम सिंह पुत्र अमरेश कुमार निवासी ग्राम खिरखौआ थाना भगवानपुर जिला वैशाली बिहार हाल पता शुक्रबाजार टिगरी गोल चक्कर गौर सिटी मॉल के पास थाना बिसरख नोएडा उम्र करीब 22 वर्ष।
2. गौतम मिर्धा पुत्र मानिक मिर्धा निवासी ग्राम हरोला से० 05 नोएडा मूल निवास ग्राम गंगारामपुर जिला गाजौल प० बंगाल उम्र करीब 25 वर्ष।
3. नितिन तिवारी पुत्र संजीव कुमार तिवारी उर्फ राजू निवासी प्रेम विहार राकेश यादव के मकान में किराये पर खोडा कलोनी गाजियाबाद मूल निवास ग्राम कुकराजो थाना मन्धना कानपुर देहात उम्र करीब 26 वर्ष।
4. रोहित उर्फ हिटलर पुत्र जोरा तिवारी ग्राम कानपुर खुर्द थाना बडौदा जनपद सोनीपत हरियाणा हाल निवास न्यू अशोक नगर राजधानी मैडिकल के पास दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त swift कार, 01 रस्सी, 02 अवैध तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लिकंरोड़ पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।